सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 507 राँची, गुरुवार, 29 आषाढ़, 1938 (श०)
20 जुलाई, 2017 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग

(पंचायती राज)

संकल्प

20 जुलाई, 2017

विषय :- पंचायत राज स्वशासन परिषद के गठन के संबंध में ।

संख्या :- 01 स्था० (वि०) 21/2017 -2594-- संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में राज्य में पंचायती राज संस्थाएँ गठित की गई हैं । वर्ष 2015 में पंचायती राज संस्थाओं का द्वितीय निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है एवं 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय के संदर्भ में राज्य के 14 विभागों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कर्मी एवं कोष के संबंध में शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है । शक्तियों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप तीनों स्तर के पंचायतों यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अधिकार एवं उत्तरदायित्व में उतरोत्तर वृद्धि हुई है ।

2. पंचायती राज व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था है जो आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत अनुभवजनित घटनाओं, प्रगति एवं परिवर्तनों से प्रभावित होती है । देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई सफल प्रयोग भी हुए हैं, इन प्रयोगों की सीखों का समावेश कर पंचायती

राज व्यवस्था का निरंतर परिमार्जन करना आवश्यक है । अतएव इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न हितधारकों, चिंतकों, विद्वानों एवं व्यवस्था के हितैषियों से निरंतर विचार-विमर्श जरूरी है । इस वार्त्ता को बढ़ावा देने एवं उसके आधार पर पंचायत राज व्यवस्था के परिमार्जन, सशक्तिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सुझाव देने हेतु जनजातीय परामर्शी परिषद की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा **पंचायत राज स्वशासन परिषद** के गठन का निर्णय लिया गया है ।

3. पंचायत राज स्वशासन परिषद के निम्न कार्य होंगे :-

(क) पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, यथा निम्न, पर मार्गदर्शन एवं अनुशंसाएँ :-

- पंचायतों के शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं इस निमित्त कर्तव्य, कोष एवं कर्मियों का हस्तांतरण पर विचार
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था (PESA) के प्रावधानों का कार्यान्वयन
- पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के विभिन्न उपायों विशेषकर आय के अपने स्रोतों को विकसित करना ।
- पंचायत स्वयंसेवकों के चयन, प्रशिक्षण, दायित्व निरूपण, नियंत्रण, निष्कासन इत्यादि से संबन्धित कार्यों का मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन
- पंचायती राज व्यवस्था का अन्य सामुदायिक संस्था यथा सखी मंडलों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ संबंध एवं समन्वय ।
- पंचायती राज व्यवस्था के कर्मियों/प्रतिनिधियों की क्षमता संवर्द्धन ।
- पंचायतों द्वारा सामाजिक विकास/सुरक्षा की अभिवृद्धि के उपायों पर विचार ।

(ख) पंचायतों के क्रियाकलापों एवं सौपें गए कार्यों का मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण, अध्ययन, शोध एवं पंचायतों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार एवं मार्गदर्शन ताकि व्यवस्था को और सुदृढ़ तथा सशक्त बनाया जा सके ।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न अभियानों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं सेवाओं के परिदान (Delivery) पर मार्गदर्शन ।

(घ) पंचायती राज संस्थाओं की क्रिया पद्धति एवं प्रशासनिक तंत्र के सुदृढीकरण, पारदर्शिता एवं निर्णय से त्वरण हेतु उपायों पर विचार ।

(च) विभिन्न राज्यों में तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज व्यवस्था में अथवा अनुषंगिक विषयों पर की जाने वाले प्रयत्नों/ प्रयोगों की सीखों के संबंध में मार्गदर्शन ।

(छ) ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न स्वयंसेवी वर्गों का उत्प्रेरण, पंचायत स्वयंसेवकों के अभिनव प्रयोग का सर्वाधिक लाभ लेने हेतु मार्गदर्शन/ अनुशंसा ।

(ज) पंचायती राज व्यवस्था के पोषण हेतु वांछित eco-system विकास के विभिन्न विकल्पों पर विचार ।

(झ) उपर्युक्त निमित्त ऊपर वर्णित प्रतिवेदनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों यथा अभ्यावेदन/ज्ञापन/याचिका/जिला योजना समिति की कार्यवाहियों, सिविल सोसायटी संस्थाओं के सुझाव, शैक्षणिक संस्थाओं के शोध प्रबंध इत्यादि पर विचार एवं निर्णय ।

(ञ) पंचायती राज व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के रास्तों के संबंध में परिचर्चा/मार्गदर्शन ।

(ट) अन्य प्रासंगिक विषय ।

4. परिषद का शासी निकाय :- परिषद का शासी निकाय निम्नवत होगा -

4.1 मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार	-	अध्यक्ष
4.2 जनजातीय कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री	-	सदस्य
4.3 मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	-	सदस्य
4.4 विकास आयुक्त, झारखंड सरकार	-	सदस्य
4.5 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	-	सदस्य
4.6 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
4.7 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	-	सदस्य
4.8 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग	-	सदस्य
4.9 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण एवं महिला, बाल विकास विभाग	-	सदस्य
4.10 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	-	सदस्य
4.11 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	सदस्य
4.12 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	-	सदस्य
4.13 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	-	सदस्य
4.14 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	-	सदस्य
4.15 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग	-	सदस्य
4.16 सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज)	-	सदस्य- सचिव
4.17 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत राज स्वशासन परिषद	-	सदस्य

4.18 परिषद के शासी मण्डल में चार गैर सरकारी सदस्य के रूप में विशेषज्ञ व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकेगा जिसका कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक होगा ।

4.19 इसके अतिरिक्त शासी निकाय में प्रमंडलों के वर्णानुक्रम से मनोनीत एक जिला परिषद अध्यक्ष, एक प्रखण्ड प्रमुख एवं दो ग्राम पंचायतों के मुखिया होंगे । इन्हें चयनित करने में राज्य/राष्ट्र स्तर पर पुरस्कृत होने वाले पदधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी । नामित सदस्यों में से कम से कम एक अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला अवश्य होंगे । इनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

4.20 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय का संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का प्रतिनिधि ।

4.21 नामित सदस्यों के मनोनयन पर कार्यपालिका नियमावली के अनुरूप निर्णय लिया जा सकेगा जबकि निष्कासन, पदत्याग पर परिषद के सदस्य-सचिव द्वारा अध्यक्ष का निर्णय प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी ।

5. परिषद की शासी निकाय की बैठक :- पंचायत राज स्वशासन परिषद शासी निकाय की बैठक छः माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी । बैठक आयोजित करने का दायित्व सदस्य-सचिव की होगी ।

6. परिषद की कार्यकारिणी समिति :- परिषद की कार्यकारिणी समिति निम्नवत होगी -

6.1 मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	-	अध्यक्ष
6.2 विकास आयुक्त, झारखंड सरकार	-	सह अध्यक्ष
6.3 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	-	सदस्य
6.4 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
6.5 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	-	सदस्य
6.6 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग	-	सदस्य
6.7 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण एवं महिला, बाल विकास विभाग	-	सदस्य
6.8 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	-	सदस्य
6.9 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	सदस्य
6.10 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य
6.11 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	-	सदस्य
6.12 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकुद एवं युवा कार्य विभाग	-	सदस्य

6.13 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	-	सदस्य
6.14 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	-	सदस्य
6.15 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग	-	सदस्य
6.16 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	-	सदस्य
6.17 सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज)	-	सदस्य- सचिव
6.18 निदेशक, पंचायत राज निदेशालय, झारखंड	-	सदस्य
6.19 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत राज स्वशासन परिषद	-	सदस्य

7. परिषद के कार्यकारिणी की बैठक :- पंचायत राज स्वशासन परिषद के कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी । बैठक आयोजित करने का दायित्व सदस्य- सचिव की होगी । उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, पंचायत राज निदेशालय, झारखंड/परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होगी ।

8. "पंचायत राज स्वशासन परिषद" के गठन हेतु निम्न पद प्रस्तावित हैं :-

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय
1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (राज्य स्तर पर एक)	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय
2	जिला समन्वयक	प्रत्येक जिला में एक (24)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय
3	प्रखण्ड समन्वयक	प्रत्येक प्रखण्ड में एक (263)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय

नोट :- उपरोक्त पदों पर चयन/मनोनयन किया जाएगा एवं परिषद के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु तत्काल कार्यकारी व्यवस्था के तहत आवश्यक कर्मियों की व्यवस्था विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा । मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक पदाधिकारी/कर्मियों के पदों की स्वीकृति परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार परिषद गठनोपरांत सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा । राज्य में जिला, प्रखण्ड तथा पंचायत की संख्या में बढ़ोत्तरी/कमी की स्थिति में उपर्युक्त सारणी में वर्णित पदों की संख्या में तदनुसार बढ़ोत्तरी/कमी स्वत: समझी जाएगी ।

9. परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी :- परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सरकार द्वारा नामित भारतीय प्रशासनिक सेवा/झारखंड प्रशासनिक सेवा/झारखंड पंचायत राज सेवा/अन्य सेवा/विशिष्ट व्यक्ति होंगे । इस पद पर इस प्रक्षेत्र के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा । इनको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी होंगे ।

10. परिषद के सदस्यों को देय सुविधाएं :- परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को देय मानदेय/भत्ता आदि का निर्धारण इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में किया जा सकेगा ।

11. परिषद की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) :- सरकार द्वारा परिषद के गठन के उपरांत राज्य स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाएगा इस हेतु निम्नांकित पद प्रस्तावित है :-

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय
1	पंचायत राज विशेषज्ञ	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी
2	वित्त विशेषज्ञ	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी
3	सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया विशेषज्ञ	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी
4	प्रशिक्षण समन्वयक	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी
5	ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी
6	लेखा/सहायक	02	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी

इसके अतिरिक्त कार्यालय कम्प्युटर आपरेटर, आदेशपाल इत्यादि की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर सरकार की स्वीकृति अनुसार प्राप्त की जाएगी ।

12. परिषद के अधीन पदाधिकारी/कर्मी :- सरकार द्वारा परिषद के गठन के बाद इसके सफल कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार राज्य स्तर पर कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मियों का चयन/मनोनयन समय-समय पर योजना-सह-वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर किया जाएगा ।

13. परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन-भत्ता एवं अन्य व्यय के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । परिषद के कर्मी झारखंड राज्य के सरकारी सेवक नहीं माने जाएगे तथा इनकी सेवा एवं शर्ते परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकेगी ।

14. परिषद ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों तथा अन्य सरकारी, गैर सरकारी सदस्यों, संस्थाओं, कंपनियों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं/अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों से राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत अनुदान इत्यादि प्राप्त कर सकेगी ।

15. परिषद प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधिकारियों के बीच कर सकेगा ।

16. नामित सदस्यों का मनोनयन, निष्कासन, पदत्याग पंचायत राज स्वशासन परिषद के कार्यकारिणी समिति द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा ।

17. <u>पंचायत राज स्वशासन परिषद कर्मियों के कार्य :-</u>

(क) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी :-

(i) परिषद की प्रशासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(ii) स्वशासन परिषद पंचायत स्वयंसेवकों के चयन, प्रशिक्षण, दायित्व निरूपण, नियंत्रण, निष्कासन इत्यादि से संबन्धित कार्रवाई ।

(iii) परिषद के सुचारु संचालन से संबन्धित सभी कार्य यथा - बजट निर्माण एवं व्यय प्रबंधन, कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रतिदेवन का गठन एवं प्रेषण इत्यादि ।

(iv) परिषद के क्रियाकलापों से संबन्धित संस्थाओं एवं पदधारकों/हितधारकों से समन्वय ।

(v) समय-समय पर परिषद द्वारा सौपें गए अन्य कार्य ।

(ख) जिला समन्वयक :-

(i) जिला समन्वयक पंचायत स्वयंसेवकों के चयन, प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रोत्साहन राशि तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में उनकी सहभागिता के संबंध में परिषद के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा ।

(ii) परिषद के वांछित प्रतिवेदनों का प्रेषण ।

(iii) जिला एवं निम्नतर स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं एवं पंचायतों से संबन्धित प्राधिकारों, संस्थाओं, हितधारकों एवं अन्य से समन्वय ।

(iv) समय-समय पर परिषद/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौपें गए अन्य कार्य ।

(ग) प्रखण्ड समन्वयक :-

(i) प्रखण्ड समन्वयक पंचायत स्वयंसेवकों के चयन, प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रोत्साहन राशि तथा पंचायत स्वयंसेवकों के कार्यों के संबंध में एवं उनकी सहभागिता के संबंध में परिषद के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा ।

(ii) परिषद के वांछित प्रतिवेदनों का प्रेषण ।

(iii) प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायतों से संबन्धित प्राधिकारों, संस्थाओं, हितधारकों एवं अन्य से समन्वय ।

(iv) समय-समय पर परिषद/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौपे गए अन्य कार्य ।

18. बजट, वित्त, लेखा एवं ऑडिट :-

(i) राज्य सरकार परिषद के विभिन्न योजनाओं के संचालन तथा कर्मचारियों हेतु अनुदान उपलब्ध कराएगी ।

(ii) परिषद किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत अपने समस्त कार्यकलापों को सुचारु रूप से निर्वहन के लिए जो भी ठीक समझे उन स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा ।

(iii) परिषद विकास निधि/कोष बना कर प्राप्त धन/बचत धनराशि जमा कर सकेगा ।

(iv) परिषद अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के लिए कल्याण कोष की स्थापना कर सकेगा ।

(v) परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट, संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आकलन दर्शाते हुये, तैयार करेगा तथा स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(vi) परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुये तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(vii) परिषद की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिए होगी ।

(viii) परिषद प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने लेखों का संधारण करेगा ।

(ix) परिषद प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराएगा ।

(x) परिषद अपनी निधि अनुसूचित बैंकों के खातों में रख कर प्रबंधित कर सकेगी ।

19. विविध :-

(i) राज्य सरकार सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये परिषद को अवक्रमित कर सकेगा ।

(ii) परिषद के सभी सदस्य इसके अवक्रमिक होने की स्थिति में अपने पद छोड़ देंगे ।

(iii) परिषद के पुनर्गठन होने तक परिषद की अपनी सम्पतियाँ राज्य सरकार के अधीन रहेगी ।

(iv) राज्य सरकार को परिषद/ कार्यकारिणी समिति को भंग करने, उनमें नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा ।

(v) परिषद कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा अन्य क्रियांकलापों के लिए राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत नियम बनाने तथा नियम प्रक्रिया लागू करने हेतु सक्षम होगा ।

(vi) राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत परिषद को किराए पर भवन लेने और कार्यालय उपस्करों में व्यय करने का अधिकार होगा ।

(vii) परिषद का मुख्यालय राँची में होगा ।

(viii) परिषद अपने सदस्यों में से चिन्हित कार्यों के लिए स्थायी अथवा कार्य (Task) विशेष समिति गठित कर सकेगी । उनके दायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण कर सकेगा । साथ ही अपने कार्यों के सम्पादन हेतु अनुशंसित कार्य जैसे शोध, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, सामग्री निर्माण इत्यादि वाहय संस्थाओं को सौप सकेगी ।

(ix) परिषद संकल्प के निर्गत होने/झारखंड राजपत्र में प्रकशन की तिथि से संकल्प अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देगा ।

20. प्रस्ताव पर दिनांक 18 जुलाई, 2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 507--500